

4.5.18

पञ्जाबली अल कॅम्प कोर्ट छागोरा में पेश  
हुई पञ्जाबली का अवलोकन किया गया। पञ्जाब  
से संबंधित वाद पत्र एवं टी। विचार दीन-चम  
रहे हैं तथा टी। आदेश पत्रावी है। आदेश  
द्वारा पुस्तक-पार्थका पत्र की पुष्टि में कोई दस्तावेज  
पुस्तक नहीं किया गया। विचारित अर्थ को  
रिसीवरी में किया गया उचित अतिव नहीं होता है  
पार्थका पत्र अ-वाश 212(2) अ-का-अ-आधार हीन  
होने के कारण स्वारिप किया गया है।  
पञ्जाबली कॅम्प लुम्बर होकर नम्बर के लभ  
हो तथा दारिद्र्य दफ्तर हो।

उपरोक्त अधिकारी  
उदयपुरवाटी (मुन्चुन)